न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारीः श्याम सिंह शेखावत, आर.ए.एस

अपील संख्याः 843/2018

निर्णय दिनांकः

1. रामस्वरूप पुत्र श्री घीसाराम
2. जगदीश पुत्र श्री घीसाराम (दौराने अपील फौत)
   2/1 विमला देवी पत्नि स्व. श्री जगदीश
   2/2 रमेश चन्द मीणा पुत्र स्व. श्री जगदीश
   2/3 पप्पू मीणा पुत्र स्व. श्री जगदीश
   समस्त निवासी गुजराती वाली ढाणी, बडी का बास, रामगढ रोड, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
3. श्रवण पुत्र श्री घीसराम
4. देवीलाल पुत्र श्री घीसाराम
5. छोटूलाल पुत्र श्री घीसाराम
6. प्रभात पुत्र श्री रामनाथ
7. बद्रीप्रसाद पुत्र श्री नाथूराम
8. कन्हैयालाल पुत्र श्री नाथूराम
9. गोपाल पुत्र श्री नाथूराम
10. मदन पुत्र श्री नाथूराम
11. हनुमान पुत्र श्री नाथूराम
12. राधाकिशन पुत्र नारायण
   समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम कस्बा आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

.... अपीलार्थीगण

बनाम

1. बिदामी देवी पत्नि अर्जुन लाल
2. जगदीश पुत्र अर्जुन लाल
3. श्रीमती शान्ति देवी पत्नि मानसिंह
4. महेन्द्र पुत्र मानसिंह
5. मनीषा पुत्री मानसिंह
6. लोकेश पुत्र मानसिंह
7. प्रकाश चन्द पुत्र अर्जुन लाल
8. तुलसा देवी पत्नि रामेश्वर
9. हनुमान पुत्र रामेश्वर
10. रामजीलाल पुत्र रामेश्वर
11. नर्बदा पुत्री रामेश्वर
12. सावित्री पुत्री रामेश्वर
   समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम कस्बा आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
13. सरकार जरिये तहसीलदार आमेर, जिला जयपुर।

.......रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध अंतिम निर्णय डिक्री दिनांक 28.06.2017 न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक आमेर, जिला जयपुर वाद पत्र संख्या 40/2013 उनवान अर्जुन लाल बनाम घीसाराम व अन्य अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

:–निर्णय–:

दिनांक :- 21/10/21

1. अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष यह अपील न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक आमेर, जिला जयपुर के वाद पत्र संख्या 40/2013 बउनवानी अर्जुनलाल बनाम घीसाराम व अन्य में पारित अंतिम निर्णय डिक्री दिनांक 28.06.2017 के विरूद्व अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया कि खाता संख्या 849 के अन्तर्गत भूमि खसरा नंबर 8255, 8257, 8258, 8259, 8269, 8270, 8317, 8318, 8319, 8320, 8321, 8569, 8590, 8591, 8592, 8601, 8602, 8603, 8608, 8609, 8843, 8844, 8845, 8846, 8847, 8866, 8867, 8868, 8869, 8870, 8871, 8876, 8877, 8878, 8879, 8881, 8882, 8900, 8901, 8905 एवं 8254/9149 कुल किता 41 कुल रकबा 18.21 हैक्टेयर ग्राम कस्बा आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित है। वाद में वर्णित भूमि कुल किता 41 कुल रकबा 18.21 हैक्टेयर कस्बा आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त रूप से खातेदारी में है, वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार वादपत्र में वर्णित भूमि में वादीगण का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 8 के पूर्वज मांगीया पुत्र चतरू का 1/3 हिस्सा है इसी के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण अपने अपने हक व हिस्सा के अनुसार कब्जा काश्त में है तथा भूमि का उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे है। वादपत्र में वर्णित भूमि जो पूर्व में वादीगण के पूर्वजों के कब्जा काश्त व खातेदारी की थी, को गलत रूप से प्रतिवादीगण व उनके पूर्वजों के नाम अंकित कर दिया गया जिसकी वर्तमान भू–प्रबन्ध सर्वेक्षण में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की सहमति व स्वीकृति से दुरूस्त कर नामान्तकरण दिनांक 29.01.1986 वादीगण के नाम 1/3 हिस्सा अंकित करने का आदेश पारित करते हुए तस्दीक किया गया। जिसके विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा अपील भू–प्रबन्ध अधिकारी सीकर के समक्ष पेश की जो सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न हो जाने के कारण अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ के न्यायालय में स्थानान्तरित की गई। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 97/2001 दिनांक 25.06.2002 को अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा खारिज कर दी गई। अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर चतुर्थ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.06.2002 से असंतुष्ट होकर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा न्यायालय श्रीमान् संभागीय आयुक्त संभाग जयपुर के समक्ष द्वितीय अपील संख्या 91/2002 उनवानी घीसालाल व अन्य बनाम अर्जुन पेश की जो पक्षकारान् के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण दिनांक 17.02.2004 को खारिज की गई। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील जो न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर के समक्ष पेश की गई थी, में दिनांक 27.01.2004 को राजीनामा प्रस्तुत किया गया था, के अनुसार प्रतिवादीगण को वर्तमान खसरा नंबर 8255, 8257, 8258, 8259, 8269, 8270, 8317, 8318, 8319, 8320, 8321, 8590, 8601, 8602, 8603, 8608, 8609 संपूर्ण एवं खसरा नंबर 8901 व 8905 का 1/2 हिस्सा कुल रकबा 9.96 हैक्टेयर दिया गया जबकि वादीगण को वर्तमान खसरा नंबर 8868, 8869, 8870, 8876, 8877, 8878, 8879, 8881, 8900 संपूर्ण एवं खसरा नंबर 8901 एवं खसरा नंबर 8905 का 1/2 हिस्सा अर्थात 5.31 हैक्टेयर भूमि दी गई। न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर के समक्ष

राजस्व अपील अधिकारी
जयपुर

प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 27.01.2004 में वर्तमान खसरा नंबर 8591, 8592, 8843, 8844, 8845, 8846, 8847, 8866, 8867, 8871 एवं 8872 कुल किता 11 कुल रकबा 2.79 हैक्टेयर किसी को तन्हा रूप से नहीं दी गई इस कारण उपरोक्त वर्णित भूमि में पूर्व के अनुसार ही वादीगण का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 8 का 1/3 हक व हिस्सा है जिस पर वादीगण अपने हक व हिस्सा के अनुसार कब्जा काश्त में है तथा शांतिपूर्वक उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे है एवं वर्तमान में भी कब्जा काश्त में है। पक्षकारान के मध्य विवादित भूमि बाबत प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 27.01.2004 एवं राजीनामा के आधार पर पारित निर्णय दिनांक 17.02.2004 न्यायालय संभागीय आयुक्त संभाग जयपुर के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य विवादित भूमि का विधिवत रूप से तकासमा कर खाता अलग अलग किये जाने बाबत वादीगण द्वारा दिनांक 03.03.2004 को प्रतिवादी संख्या 9 के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर निर्णय एवं राजीनामा के अनुसार विधिवत रूप से तकासमा करने हेतु निवेदन किया जिस पर प्रतिवादी संख्या 9 ने वादीगण से कहा कि तुम एस.डी.ओ साहब के समक्ष बंटवारा का दावा पेश कर डिक्री कराओ तभी हम खाता अलग अलग करेगे इस कारण वादीगण द्वारा यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है। वादी ने वाद के अन्य बिन्दुओं के साथ वाद कारण अंकित करते हुए यह अनुतोष चाहा है कि वादी वाद विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 8868, 8869, 8870, 8876, 8877, 8878, 8879, 8881, 8900 संपूर्ण एवं खसरा नंबर 8901 व खसरा नंबर 8905 का हिस्सा 1/2 तन्हा रूप से बंटवारा में दिया जावे एवं खसरा नंबर 8591, 8592, 8843, 8844, 8845, 8846, 8847, 8866, 8867, 8871 एवं खसरा नंबर 8872 कुल किता 11 कुल रकबा 2.79 हैक्टेयर कस्बा आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर में वादीगण के 1/3 हिस्सा का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स तकासमा किया जाकर वादीगण का खाता अलग से कायम किया जावे एवं वादीगण के हक व हिस्सा की भूमि का लगान भी अलग से छांटा जाकर कायम किया जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबंद किया जावे कि वे वादीगण के हक व हिस्सा में आयी तकासमाशुदा भूमि के शांतिपूर्वक उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे एवं न ही काश्त करने में किसी प्रकार से दखलअंदाजी ही करे एवं न ही वादीगण को जबरन बेदखल करने की चेष्टा ही करे तथा न ही ऐसा कोई भी कृत्य किसी अन्य के द्वारा ही करावे। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। तत्पश्चात् अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वकील पक्षकारान की बहस सुनकर बाद बहस मनन दिनांक 31.03.2016 को प्राथमिक निर्णय डिक्री पारित कर तहसीलदार आमेर को आराजीयात का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर तकासमा कर नक्शे कुरैजात अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया। तहसीलदार आमेर द्वारा नक्शे कुरैजात प्रस्तुत करने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वकील वादी व प्रतिवादी की बहस सुनकर बाद बहस मनन दिनांक 28.06.2017 को अंतिम निर्णय डिक्री पारित कर अंतिम निर्णय डिक्री अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने के आदेश पारित किये। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर तलबी रेस्पोडेन्ट्स जारी की गई। वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी ने वाद प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

संभागीय आयुक्त के निर्णय दिनांक 17.02.2004, जो कि पक्षकारान के मध्य राजीनामा के आधार पर पारित किया गया था, के अनुसार वाद डिक्री किये जाने का अनुतोष चाहा था, वाद के अनुतोष अनुसार खसरा नंबर 8245/6146, 8255, 8257, 8258, 8259, 8269, 8270, 8317, 8318, 8319, 8320, 8321, 8590, 8601, 8602, 8603, 8608, 8609 सम्पूर्ण प्रतिवादीगण एवं खसरा नंबर 8901 व 8905 का 1/2 हिस्सा अपीलान्ट एवं शेष 1/2 हिस्सा रेस्पोडेन्ट को प्रदत्त किया जाना था किन्तु हल्का पटवारी द्वारा नक्शे कुरैजात में खसरा नंबर 8901 रकबा 1.23 हैक्टेयर व खसरा नंबर 8905 रकबा 2.83 हैक्टेयर संपूर्ण ही रेस्पोडेन्ट के हक में दर्शा दी गई, को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट को राजीनामा के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय के माध्यम से गलत प्रदत्त की गई है। अपीलान्ट को अपीलाधीन निर्णय के माध्यम से खसरा नंबर 8905 एवं 8901 के पीछे जो भूमि प्रदत्त की गई है उसमें आने जाने हेतु कोई रास्ता प्रदत्त नहीं किया गया है। तहसीलदार द्वारा कुरैजात अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय डिक्री अनुसार तैयार नहीं किये गये है जिनका बिना अध्ययन किये ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय डिक्री पारित की गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय राजस्व कैम्प में बिना अपीलान्ट को कोई सूचना दिये पारित किया गया जिसकी कोई जानकारी अपीलान्ट को नहीं थी, जानकारी होने के पश्चात् अपीलान्ट द्वारा अविलम्ब अपील न्यायालय में प्रस्तुत की गई। अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुति में देरी जानबूझकर कारित नहीं की गई है इस कारण अपील को अंदर मियाद शुमार माना जाकर अपील का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना नितान्त आवश्यक है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्व तरीके से अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय डिक्री दिनांक 28.06.2017 खारिज किया जावे। वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आर.बी.जे. 2003(2) पेज 777, 2000(2) आर.आर.टी. पेज 194, 2001(2) आर.आर.टी. पेज 1233, आर.आर.टी 2004(1) पेज 374, आर.आर. टी 2004(1) पेज 238, आर.आर.टी 2005(1) पेज 228, आर.आर.टी. 2002(1) पेज 649 प्रस्तुत किये। वकील रेस्पोडेन्ट ने वकील अपीलार्थी के कथनों का खंडन करते हुये बताया कि अपीलाधीन निर्णय की अपीलान्ट को निर्णय दिनांक से जानकारी है, अपीलान्ट ने जानबूझकर अपील देरी से प्रस्तुत की है। विधि अनुसार देरी बाबत प्रत्येक दिवस का स्पष्टीकरण दिया जाना नितान्त आवश्यक है, जो स्पष्टीकरण अपीलान्ट द्वारा नहीं दिया गया है इस कारण अपील अपीलान्ट मियाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य है। तहसीलदार द्वारा कुरैजात मौके पर उपस्थित होकर पक्षकारान की उपस्थिति में पक्षकारान की आपसी सहमति व राजीनामा के आधार पर तैयार किये गये है जिनसे अपीलान्ट भी बाध्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नक्शे कुरैजात का निरीक्षण कर कुरैजात सही पाये जाने पर अंतिम निर्णय डिक्री पारित की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व मंडल के तकासमा के नियमानुसार अंतिम निर्णय डिक्री पारित की है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी गलत तथ्यों पर आधारित होने से खारिज की जावे।

4. अभिभाषक पक्षकारान् की बहस पर मनन किया गया। अपील मीमों एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी/रेस्पोडेन्ट के उत्तराधिकारी व अन्य द्वारा वाद पत्र में प्रश्नगत आराजीयात का विवरण देते हुए यह अंकित किया था कि प्रश्नगत आराजी के सन्दर्भ में पक्षकारान् के मध्य अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के समक्ष राजीनामा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

हुआ था जिसमें आराजी खसरा नंबर 8255, 8257, 8258, 8259, 8269, 8270, 8317, 8318, 8319, 8320, 8321, 8590, 8601, 8602, 8608, 8609 संपूर्ण व 8901 एवम् 8905 का 1/3 हिस्सा रकबा 9.96 हैक्टेयर प्रतिवादीगण के हक में रखा गया जबकि वादीगण को खसरा नंबर 8868, 8869, 8870, 8876, 8877, 8878, 8879, 8881, 8900 सम्पूर्ण एवम् खसरा नंबर 8901 व 8905 का 1/2 हिस्सा अर्थात 5.31 हैक्टेयर भूमि दी गई जबकि उक्त राजीनामा में भूमि खसरा नंबर 8591, 8592, 8843, 8844, 8845, 8846, 8847, 8866, 8867, 8871, 8872 कुल किता 11 कुल रकबा 2.79 हैक्टेयर किसी को तन्हा रूप से नहीं दी गई। बाद में यह भी अंकित किया गया है कि इस कारण उक्त अविभाजित आराजी में भी 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का, प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 8 का 1/3 हिस्सा एवम् वादीगण का 1/3 हिस्सा है। वाद के अनुतोष पैरा में अंकित किया गया है कि वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर खसरा नंबर 8868, 8869, 8870, 8876, 8877, 8878, 8879, 8881, 8900 सम्पूर्ण एवम् खसरा नंबर 8901 व खसरा नंबर 8905 का 1/2 हिस्सा बंटवारे में दिया जावे एवम् खसरा नंबर 8591, 8592, 8843, 8844, 8845, 8846, 8847, 8866, 8867, 8871 एवम् 8872 कुल किता 11 कुल रकबा 2.79 हैक्टेयर में वादीगण के 1/3 हिस्से का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स तकासमा किया जाकर खाता अलग से कायम किया जावे। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 31.03.2016 के द्वारा प्रकरण प्रारम्भिक डिक्री करते हुए तहसीलदार आमेर से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई जिसमें अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार को यह भी निर्देश दिये गये कि संभागीय आयुक्त महोदय, जयपुर के समक्ष प्रस्तुत राजीनामा में अंकित भूमि को शामिल करते हुए बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स कुरैजात रिपोर्ट तैयार कर, प्रस्तुत की जावे। तत्पश्चात् तहसीलदार आमेर से कुरैजात रिपोर्ट प्राप्त होने पर, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कुरैजात रिपोर्ट के आधार पर अन्तिम डिक्री दिनांक 28.06.2017 को पारित कर दी गई जिसके विरूद्व प्रस्तुत इस अपील में अपीलार्थी द्वारा मुख्य आपत्ति यही उठाई गई है कि संभागीय आयुक्त महोदय के समक्ष प्रस्तुत राजीनामा में आराजी खसरा नंबर 8901 व 8905 अपीलार्थी के हिस्से में 1/2 हिस्सा रखा जाकर, राजीनामा किया गया था। वादी/रेस्पोडेन्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद में भी उक्त तथ्य को अंकित करते हुए तदनुसार वाद डिक्री किये जाने का अनुतोष चाहा गया था किन्तु तहसीलदार आमेर ने कुरैजात रिपोर्ट में आराजी खसरा नंबर 8901 व 8905 का संपूर्ण रकबा वादी/रेस्पोडेन्ट को दे दिया एवम् उसी अनुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा डिक्री पारित कर दी गई। उक्त तथ्यों की वाद एवम् उस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री से पुष्टि होती है जिससे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 28.06.2017 वादी की स्वीकारोक्ति के विपरीत पारित किया जाना स्पष्ट है। उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

5. अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर, अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर फास्ट ट्रेक आमेर, जिला जयपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.06.2017 खारिज किये जाते है। पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अधिनस्थ न्यायालय, तहसीलदार आमेर से प्रकरण में आराजी खसरा नंबर 8901 व 8905 के संबंध में वादी की स्वीकारोक्ति अनुसार आधे-आधे हिस्से अनुसार कुरैजात रिपोर्ट मंगवाकर, उस पर पक्षकारान् की आपत्ति पर सुनवाई कर, वाद में पुनः अंतिम निर्णय डिक्री

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

पारित करें। उभयपक्षकारान् जरिये अधिवक्ता अधिनरथ न्यायालय के समक्ष सुनवाई हेतु, दिनांक 18/11/2021 को आवश्यक रूप से उपस्थित होवे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 21/10/21 को लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर